**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2419**

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

# निर्भया/सखी केंद्र

**2419. श्री अरुण कुमार सागर:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सभी जिलों में संकटग्रस्त महिलाओं के लिए वन-स्टॉप संकट समाधान केंद्रों के रूप में निर्भया/सखी केंद्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य-वार ऐसे कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं; और

(ग) क्या उक्त केंद्र समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

**(क) से (ग):** वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल वर्टिकल का एक घटक है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत और तत्काल सहायता प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोसामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है।

मिशन शक्ति के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार संबल उप-योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन है। दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से लेकर 31 अक्टूबर, 2025 तक, देश भर में ओएससी के माध्यम से 12.88 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

चूंकि यह योजना मांग आधारित है, इसलिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक ओएससी स्थापित करने और उन जिलों में अतिरिक्त ओएससी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर अधिक है या जिनका भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है और आकांक्षी जिलों में भी। आज तक, पूरे देश में 1025 ओएससी स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 896 ओएससी कार्यरत हैं। राज्यवार स्वीकृत और कार्यरत ओएससी की सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

*****

**अनुलग्नक**

**'निर्भया/सखी केंद्र' के सबंध में श्री अरुण कुमार सागर द्वारा दिनांक 13.02.2026 को लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2419 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।**

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदित और कार्यरत ओएससी का विवरण इस प्रकार है:

| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **अनुमोदित ओएससी की संख्या** | **कार्यरत ओएससीएस की संख्या** |
|---|---|---|---|
| **क** | **ख** | **ग** | **घ** |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 3 | 3 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 36 | 26 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 27 | 25 |
| 4 | असम | 36 | 36 |
| 5 | बिहार | 65 | 39 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1 | 1 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 42 | 42 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 3 | 3 |
| 9 | दिल्ली | 22 | 11 |
| 10 | गोवा | 2 | 2 |
| 11 | गुजरात | 36 | 35 |
| 12 | हरियाणा | 27 | 22 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 13 | 13 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 23 | 20 |
| 15 | झारखंड | 37 | 26 |
| 16 | कर्नाटक | 44 | 40 |
| 17 | केरल | 16 | 14 |
| 18 | लद्दाख | 2 | 2 |
| 19 | लक्षद्वीप | 1 | 1 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 65 | 57 |
| 21 | महाराष्ट्र | 67 | 67 |
| 22 | मणिपुर | 16 | 16 |
| 23 | मेघालय | 14 | 12 |
| 24 | मिजोरम | 13 | 13 |
| 25 | नागालैंड | 17 | 17 |
| 26 | ओडिशा | 39 | 34 |
| 27 | पुदुचेरी | 4 | 4 |
| 28 | पंजाब | 23 | 23 |
| 29 | राजस्थान | 52 | 52 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | सिक्किम | 7 | 6 |
| 31 | तमिलनाडु | 59 | 54 |
| 32 | तेलंगाना | 36 | 36 |
| 33 | त्रिपुरा | 10 | 10 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 124 | 96 |
| 35 | उत्तराखंड | 19 | 14 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 24 | 24 |
| | **कुल** | **1025** | **896** |

*****